मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
<u>वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल</u>

क्रमांक : एफ 6-1/2012/नियम/चार — भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना।

संदर्भ- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 50/1815/90/नि-6/चार, दिनांक 08 जनवरी 1991 एवं ज्ञाप क्रमांक जी-3/2/96/सी/चार, दिनांक 29 फरवरी 1996.

--••--

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 50/1815/90/नि-6/चार, दिनांक 08 जनवरी 1991 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अवकाश के नगदीकरण की गणना के लिये दिनांक 09-03-87 तक 12 माह के अंतर पर 15 दिन तथा 24 माह के अंतर पर 30 दिन के हिसाब से एवं दिनांक 10-3-87 से 01 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर 7 दिन अथवा 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर 15 दिन के हिसाब से अर्जित अवकाश के नगदीकरण की पात्रता संबंधी गणना किये जाने तथा ज्ञापन क्रमांक जी-3/2/96/सी/चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 में दिनांक 10-3-87 के पूर्व एवं पश्चात खण्ड माहों की सम्मिलित अवधियाँ यदि एक वर्ष हो जाती है, तो दिनांक 10-3-87 के पश्चात् समर्पण अवकाश की पात्रता के निर्धारण में उसे जोड़ कर एक वर्ष माने जाने के निर्देश है ।

2/ संदर्भित ज्ञाप दिनांक 29 फरवरी 1996 के बिन्दु क्रमांक-2 पर अंकित अनुसार सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता की गणना के उदाहरण "अ" एवं "ब" अनुसार दिनांक 10-3-1987 के पश्चात् की सेवाअवधि के लिए 7 दिवस प्रतिवर्ष की दर से पात्रता की गणना की गयी है ।

3/ राज्य शासन के संज्ञान में यह आया है कि कतिपय विभागों में पात्रता की गणना में दिनांक 10-03-87 के पश्चात् की सम्पूर्ण अवधि के लिये प्रतिवर्ष 7 दिवस के आधार पर गणना कर पात्रता निर्धारित की जा रही है जिससे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक के अर्जित अवकाश के नगदीकरण की पात्रता में कमी होने की स्थिति बन रही है ।

4/ अतः स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 10-3-87 के पश्चात् की सम्पूर्ण सेवाअवधि के लिए प्रथमतः दो वर्ष के कालखण्ड पर 15 दिवस की दर से एवं शेष अवधि के लिए 7 दिवस प्रतिवर्ष की दर से अर्जित अवकाश (समर्पित अवकाश) की पात्रता की गणना की जाए । उदाहरणार्थ :-

Sunita/ & 100

स.क्र	विवरण	उदाहरण "अ"	उदाहरण "ब"
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नियुक्ति दिनांक	10-4-1957	15-6-1963
2.	सेवानिवृत्त	30-6-1994	30-11-1995
3.	नियुक्ति दिनांक से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा	29 वर्ष 11 माह	23 वर्ष 8 माह 25 दिन
4.	दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि	7 वर्ष 3 माह 22 दिन	8 वर्ष 8 माह 22 दिन
5.	कालम(3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से)	29×15=435 दिन	23×15=345 दिन
6.	कालम-4 में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (प्रत्येक दो वर्ष में 15 दिन एवं खण्ड वर्ष में 7 दिन की दर से)	8 वर्ष 4×15=60 दिन (प्रत्येक दो वर्ष में 15 दिन के मान से)	9 वर्ष 4×15=60 1×7=7 67 दिन (प्रत्येक दो वर्ष में 15 दिन के मान से) खण्ड वर्ष के लिए 7 दिन के मान से .
टीपः-कालम(3) एवं (4) के खंड माह की अवधि यदि एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए			
7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता .	495 दिन	412 दिन
8.	घटाईये- सेवा के दौरान अवकाश समर्पण का लाभ .	232 दिन	208 दिन
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता .	263 दिन	204 दिन

टीपः-उदाहरण क्रमांक "अ" के कालम (9) में अंकित 263 दिन की अवधि 240 दिन से अधिक है, अतः कर्मचारी को 240 दिन अथवा उतने दिनों के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान देय होगा जो सेवानिवृत्ति की तिथि को उसके अवकाश खाते में जमा हो ।

क्रमांक-2 उदाहरण क्रमांक "ब" के कालम (9) में अंकित 204 दिन की अवधि के अर्जित अवकाश की समर्पण की पात्रता है, यदि कर्मचारी के लेखे में इससे अधिक अर्जित अवकाश जमा है, तो 204 दिन ही समर्पण की पात्रता है एवं इससे कम अर्जित अवकाश जमा है तो उतने ही दिनों के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान देय होगा ।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगें । पूर्व में अन्यथा निपटाए गए प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जाएगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

Sunita/ & 101

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 6-1/2012/नियम/चार भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 2012

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(डी.के.सक्सैना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

I/Sunita
http/WWW.mp.gov.in/finance